

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)**// विविध आदेश //**

क्र०- ४१ / एक-५-१ / २०१०,

सिंगरौली, दिनांक-^{०१-०९-२०२५} ३०.०८.२०२५

मै, हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली म०प्र०, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम १९५८ की धारा १५ की उपधारा (१), धारा १०(दो) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १९४, ३८१(२), ४०८ के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के पालन में, पूर्ववर्ती समस्त कार्य-विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए वर्तमान में न्यायिक जिला सिंगरौली में पदस्थ सभी न्यायालयों हेतु आगामी आदेश तक कार्य किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य-विभाजन करता हूँ:-

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक **०१.०९.२०२५** से प्रभावशील होकर आगामी कार्य-विभाजन आदेश पारित होने तक प्रभावशील रहेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	स.क्र.	किये जाने वाले कार्य का विवरण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारीगण हेतु:-				
१	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	संपूर्ण राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	१	दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद, प्रवर्तन आवेदन पत्र तथा सिविल विधि मामला।
			२	म०प्र० नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जिला सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त चुनाव याचिकाएं।
			३	व्यवहार प्रक्रिया राहिता के अंतर्गत ट्रांसफर आफ केसेस से संबंधित आवेदन पत्र।
			४	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य धारियों से निष्कासन) (एविकशन आफ अन अथराइज्ड आक्यूपेंट) अधिनियम १९७१ (Public Premises viction (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, १९७१ के अंतर्गत अपीलें।
			५	इसी न्यायालय व दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय आदेश से संबंधित एवं निष्पादन तथा विविध प्रकरण व अपीलीय आदेश का क्रियान्वयन।

		6	थाना वैद्वन, विन्ध्यनगर, मोरवा, नवानगर, लंघाडोल, माड़ा से संबंधित समस्त मृत्यु दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।
		7	दीवानी प्रकरणों के अंतरण हेतु आवेदन-पत्र।
		8	रेंट कन्ट्रोलिंग अर्थोटी, सिंगरौली के आदेशों के विरुद्ध अपीलें।
		9	मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 262 के अंतर्गत रिफरेंस।
		10	समस्त आवेदन पत्र/अपीले/रिफरेंस जो कि अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत, जिन्हे अन्य न्यायालयों को आवंटित न किया गया हो।
		11	सती निवारण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत प्रकरण।
		12	नगर पालिका अधिनियम से संबंधित (टैक्स से) अपील प्रकरण।
		13	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली द्वारा शासन के विरुद्ध पारित अस्थाई निषेधज्ञा/डिक्री/निर्णय से उत्पन्न विविध एवं नियमित समस्त अपीलें।
		14	आदेश 21 नियम 8 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाहर से आने वाली समस्त इजराय/टी0सी0।
		15	भू-अर्जन के अंतर्गत रिफरेंस व अपील।
		16	ऐसे अन्य समस्त प्रकरण व आवेदन-पत्र जो सामान्य, स्थानीय और विशेष अधिनियम के अंतर्गत जिला जज की सुनवाई योग्य हो, जिनके संबंध में अन्यत्र निर्देश न दिया गया हो।
		17	घातक दुर्घटना (फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855) के समस्त प्रकरण।
		18	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध व निष्पादन प्रकरण।
		19	विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20बी के प्रकरण।

			20	समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिंगरौली तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंगरौली एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश सिंगरौली के न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णय, आज्ञापतियों एवं आदेशों से उत्पन्न समस्त व्यवहार अपीले।
			21	ग्राम न्यायालय सिंगरौली से उत्पन्न सिविल नियमित एवं विविध अपीले।
			22	बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले समस्त थानों के मृत्यु दावा प्रकरण जो तहसील सिंगरौली एवं माडा क्षेत्र के प्रकरण।
2	- -	संपूर्ण सत्र खण्ड सिंगरौली	1	समस्त सत्र विचारण।
			2	आपराधिक पुनरीक्षण।
			3	आपराधिक अपीले।
			4	सत्र प्रकरणें तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं०प्र०सं०।
			5	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Right Act, 1993-India Code) के अंतर्गत दण्ड याचिकाये।
			6	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ट्रान्सफर ऑफ केसेस से संबंधित आवेदन-पत्र।
			7	दं०प्र०सं० की धारा 408 एवं 409 के अंतर्गत आवेदन।
			8	बालकों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों (बाल अधिकार आयोग अधिनियम 2005) से संबंधित प्रकरण।
			9	खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम के अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारित दाण्डिक प्रकरणों से उत्पन्न दाण्डिक अपील।
			10	किशोर न्याय बोर्ड सिंगरौली के द्वारा विचारित प्रकरणों से उत्पन्न समस्त दाण्डिक अपील।

			11	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
			12	ऐसे समस्त मामले जो अन्य न्यायालयों को नहीं सौंपे गये हो और सत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र के हो।
			13	ग्राम न्यायालय सिंगरौली से संबंधित अपीलें।
			14	किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015
3	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री खालिद मोहतरम अहमद)	राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीले एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
4	— —	सत्र खण्ड सिंगरौली	1	विशेष न्यायाधीश:— अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष प्रकरण तथा प्रतिभूति आवेदन-पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	विशेष न्यायाधीश:— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 एवं 1988 के अंतर्गत उत्पन्न समस्त प्रकरण एवं संबंधित रिमाण्ड तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			3	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			4	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
			5	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

5	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्रीमती कंचन गुप्ता)	राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
6	- -	सत्र खण्ड सिंगरौली	1	विशेष न्यायाधीश:- जिला मुख्यालय सिंगरौली के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन-पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीले, पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन-पत्र।
			3	लंबित सत्र प्रकरणों तथा आपराधिक अपीलों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 438, 439 दं०प्र०सं०।
			4	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
			5	जिला मुख्यालय सिंगरौली (वैद्वन) से उत्पन्न समस्त रेप, गैंग रेप, रेप विथ मर्डर के प्रकरण।
			6	विशेष न्यायाधीश:- म०प्र० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित प्रकरण, प्रतिभूति आवेदन-पत्र एवं विविध कार्यवाहियां।
7	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री धर्मेन्द्र सोनी)	राजस्व जिला सिंगरौली	1.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
8	- -	सत्र खण्ड सिंगरौली	1.	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीले, पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन-पत्र।
9	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली	राजस्व जिला सिंगरौली		रिक्त न्यायालय

10	- -	सत्र खण्ड सिंगरौली		रिक्त न्यायालय
11	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)	राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	थाना कोतवाली बैढ़न, विन्ध्यनगर, मोरवा एवं नवानगर थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।
			3	बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बैढ़न, विन्ध्यनगर एवं नवानगर के प्रकरण।
			4	The Court of District Judge as the Principal Civil Court of original jurisdiction would be competent to decide the matters/disputes filed under the provisions to Sections 9, 14 & 36 of the Arbitration Act and also under the provisions of the Commercial Court Act,
12	- -	सत्र खण्ड सिंगरौली	1	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			2	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	म0प्र0 किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022 के नियम 14(1)(एक) के अनुसार बालक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में जो बालक न्यायालय से अन्यथा होगी अपील।
13	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री राकेश कुमार कुशवाह)	राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

14	- -	सत्र खण्ड सिंगरौली	1 विशेष न्यायाधीश:- सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रकरण। 2 सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र। 3 उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
15	सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री उमेश कुमार सोनी)	राजस्व जिला सिंगरौली अंतर्गत तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1 प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां। 2 एक करोड एक रुपये से दो करोड रुपये मूल्य तक के समस्त सिविल वाद। 3 मध्यप्रदेश सहकारी संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पचास हजार एक रुपए मूल्य से अधिक के प्रकरण। 4 म0प्र0 नगर पालिक अधि0 1961 की धारा 139(5) तथा धारा 172(3) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण। 5 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रोवेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण। 6 रुपये 501=00 से रुपये 1000=00 मूल्य के लघुवाद प्रकरण। 7 साहूकारों के कुचकों से परित्राण विमुक्ति अधिनियम से संबंधित प्रकरण। 8 थाना लंघाडोल एवं माड़ा थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 9 बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना माड़ा, लंघाडोल के प्रकरण। 10 उपरोक्त वादों/प्रकरण से उद्भूत निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 11 उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।

16	— —	सत्र खण्ड सिंगरौली	1	विशेष न्यायाधीशः— सत्र खण्ड सिंगरौली से उत्पन्न समस्त मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण एवं उनसे संबंधित जमानत आवेदन पत्र, रिमांड कार्यवाहियों।
			2	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन—पत्र।
			3	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
			4	राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) के अधीन दाण्डिक प्रकरण (रजिस्ट्री का पृष्ठांकन क्रमांक सी/4861/तीन-6-4/2010, जबलपुर दिनांक 16.07.2025)
17	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (श्री राजकुमार वर्मा)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2.	तहसील देवसर में पदस्थ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालयों से उद्भूत नियमित सिविल अपील, विविध सिविल अपील एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध सिविल प्रकरण।
			3.	तहसील देवसर से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
18	— —	सत्र खण्ड देवसर, चितरंगी एवं सरई	1.	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन—पत्र।
19	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (श्री महेन्द्र पाल सिंह)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	भू-अर्जन से संबंधित समस्त प्रकरण।

			3	तहसील सरई में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उद्भूत नियमित सिविल अपील, विविध सिविल अपील व अपील से संबंधित विविध प्रकरण।
			4	एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पत्ति वाद।
			5	तहसील देवसर (बरगवों) के रु0 501/-रुपये से 1000/-रुपये मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			6	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई से उद्भूत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रोबेट एवं प्रशासन पत्र के प्रकरण।
			7	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
20	- -	सत्र खण्ड देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			2	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	तहसील देवसर (थाना बरगवों) से उद्भूत जमानत आवेदन पत्र एवं आपराधिक सत्र प्रकरण।
21	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (श्री विजय कुमार सोनकर)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीले एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
22	- -	सत्र खण्ड देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			2	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।

			3	थाना सरई से उद्भूत जमानत आवेदन-पत्र, दाण्डिक अपील, दाण्डिक रिवीजन एवं उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण।
			4	तहसील देवसर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर के न्यायालयों से उद्भूत आपराधिक अपील, आपराधिक रिवीजन एवं उक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण।
23	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (श्री दिनेश कुमार शर्मा)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के "ए" तथा "बी" श्रेणी के सम्पत्ति वाद।
			3	तहसील देवसर, चितरंगी के ₹0 501/-रुपये से 1000/-रुपये मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			4	आर्बीट्रेशन तथा कंसिलेशन एक्ट, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं निष्पादन प्रकरण।
			5	तहसील चितरंगी एवं सरई से उद्भूत मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			6	कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के क्षेत्राधिकार वाल प्रकरण/कार्यवाहियों को छोड़कर तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई से उद्भूत हिन्दू विधि के अंतर्गत (हिन्दू विवाह अधिनियम, दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, संरक्षण प्रतिपाल्य अधिनियम) के प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण।
			7	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
24	- -	सत्र खण्ड देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, अपराधिक अपीले, आपराधिक पुनरीक्षण तथा जमानत आवेदन-पत्र।
			2	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।

			3	थाना देवसर (जियावन), चितरंगी, एवं गढ़वा से उद्भूत जमानत आवेदन पत्र एवं आपराधिक सत्र प्रकरण।
25	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवसर (श्रीमती सोनल चौरसिया)	तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित समस्त सिविल वाद, अपीलें एवं अन्य कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध प्रकरण।
26	- -	सत्र खण्ड देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरित सत्र प्ररण, आपराधिक अपीले, पुनरीक्षण तथा प्रतिभूति आवेदन-पत्र।
			2	विशेष न्यायाधीश:- तहसील मुख्यालय देवसर के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित विशेष सत्र प्रकरण एवं समस्त रिमाण्ड कार्यवाहियां, जमानत आवेदन-पत्र तथा विविध आपराधिक प्रकरण।
			3	तहसील मुख्यालय देवसर से उत्पन्न समस्त रेप, गैंग रेप, रेप विध मर्डर के प्रकरण।
			4	उक्त प्रकरणों से उत्पन्न सभी विविध आपराधिक प्रकरण।
व्यवहार न्यायाधीशगण हेतु				
27	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (श्री शिवचरण पटेल)	(माह सितम्बर 2025 से दिसम्बर 2025 तक) राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	समस्त साम्प्रतिक वाद जिनका मूल्य 5,00,000/- (पाँच लाख एक रुपये) से अधिक एवं 10,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन-पत्र।
			4	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			5	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण

				अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण।
			6	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये।
			7	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			8	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			9	पूर्व में कार्यरत द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
28	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा		रिक्त न्यायालय।
29	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा		रिक्त न्यायालय।
30	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा		रिक्त न्यायालय।
31	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा		रिक्त न्यायालय।
32	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (सुश्री सिमरन गुप्ता)	(माह अक्टूबर, नवम्बर 2025) राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	रुपये 0/-रुपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रुपये से 200/-रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

33	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (सुश्री प्रिंसू मिश्रा)	(माह दिसम्बर 2025) राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	रुपये 0/-रुपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रुपये से 200/-रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
34	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली	राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा		रिक्त न्यायालय
35	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (सुश्री रूपा मिश्रा)		1	प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, सिंगरौली होने से किशोर न्याय बोर्ड का कार्य।
36	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (श्री विशाल रिछारिया)	(माह सितम्बर 2025) राजस्व तहसील सिंगरौली एवं माड़ा	1	रुपये 0/-रुपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रुपये से 200/-रुपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			6	The Commercial Court, commercial Division and commercial appellate division of high court act, 2015 की धारा 2सी में यथा परिभाषित कामर्शियल एवं

				फाईनेंशियल डिस्प्यूट से संबंधित (एक करोड़ रुपये से कम मूल्य) के समस्त प्रकरण।
37	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सिंगरौली (श्री विशाल रिछारिया)	राजस्व तहसील सिंगरौली की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायत	1	ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की अनुसूची के भाग-1 व 2 में वर्णित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं द्वितीय अनुसूची के भाग-1 में वर्णित समस्त सिविल प्रकरण व अन्य वाद एवं उनसे उद्भूत अन्य विविध कार्यवाही।
38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री विष्णुकांत मिश्रा)	राजस्व तहसील देवसर एवं चितरंगी	1	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			2	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
39	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती पूनम सिंह)	(माह सितम्बर 2025 से दिसम्बर 2025 तक) राजस्व तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई	1	रुपये 5,00,000/- (पाँच लाख एक रुपये) से अधिक एवं 10,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक के मूल्य के सभी व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत सभी विविध प्रकरण वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 201/- रुपये से 500/- रुपये तक है।
			3	उपरोक्त वादों से उत्पन्न सभी निष्पादन व विविध प्रकरण।
			4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त आवेदन-पत्र।
			5	मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 139(1) एवं 172(1) के अधीन उत्पन्न अपीलें।
			6	राजस्व तहसील देवसर, चितरंगी एवं सरई से उद्भूत मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रकरण।
			7	वह सभी प्रकरण जो समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाये।
			8	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन प्रकरण एवं विविध व्यवहार

				प्रकरण।
			9	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
			10	पूर्व में कार्यरत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय से उद्भूत विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
40	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	(माह अक्टूबर, नवम्बर 2025) राजस्व तहसील देवसर एवं चितरंगी	1	रूपये 0/-रूपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रूपये से 200/-रूपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
41	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)	(माह सितम्बर 2025 तक) राजस्व तहसील देवसर एवं चितरंगी	1	रूपये 0/-रूपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रूपये से 200/-रूपये तक है।
			3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
			4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
			5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
42	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अनिल नामदेव)	(माह दिसम्बर 2025) राजस्व तहसील देवसर एवं चितरंगी	1	रूपये 0/-रूपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
			2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रूपये

			से 200/-रूपये तक है।
		3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
		4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
		5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
		6	पूर्व में कार्यरत रही व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर के न्यायालय के उद्भूत विविध एवं निष्पादन प्रकरण।
43	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सरई (श्री हर्षवर्धन राठौर)	राजस्व तहसील सरई	1 रूपये 0/-रूपये से 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक के सिविल वाद एवं उनसे उद्भूत विविध सिविल वाद एवं निष्पादन प्रकरण।
		2	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्य 1/-रूपये से 200/-रूपये तक है।
		3	वह सभी प्रकरण जिन्हें समय-समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जावेगा।
		4	उनके द्वारा विचारित प्रकरणों से उद्भूत प्रवर्तन प्रकरण एवं विविध व्यवहार प्रकरण।
		5	इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन प्रकरण।

—:: आवश्यक आदेश व निर्देश ::—

1. सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित/सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जमानत आवेदन पत्र, जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निराकृत किया गया हो, उसी न्यायालय द्वारा पश्चात्तर्वर्ती जमानत आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जायेगा। इसके साथ ही उसी अपराध से संबंधित अन्य आरोपीगण के प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र भी उसी सत्र न्यायालय द्वारा निराकृत किये जावेंगे, जिस न्यायालय द्वारा सह आरोपियों की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 439 द.प्र.सं. के जमानत आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है। उसी आवेदन पत्र स्वमेव अंतरित माने जायेगे, परन्तु लंबित सत्र प्रकरणों में सह आरोपी की ओर से प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन-पत्र का निराकरण विचारण न्यायालय जिनके यहां सत्र प्रकरण लंबित है. के द्वारा किया जायेगा।

2. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में प्रथम जमानत आवेदन पत्र थाना अनुसार निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जावेगे।

क्र०	थाने का नाम	न्यायिक अधिकारी का नाम
1	विन्ध्यनगर	श्री खालिद मोहतरम आहमद, प्रथम अति० सत्र न्यायाधीश, वैद्वन
2	वैद्वन,	श्रीमती कंचन गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वैद्वन
3	मोरवा,	श्री धमेन्द्र सोनी, तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, वैद्वन
4	लंघाडोल,	अरुण कुमार खरादी, पंचम अति० सत्र न्यायाधीश, वैद्वन
5	माड़ा,	श्री राकेश कुमार कुशवाह, षष्ठम अति० सत्र न्यायाधीश, वैद्वन
6	नवानगर,	श्री उमेश कुमार सोनी, सप्तम अति० सत्र न्यायाधीश, वैद्वन

नोट— यदि उपरोक्त विभाजन अनुसार कोई न्यायिक अधिकारी उक्त दिनांक को अनुपस्थित रहता है तो, चार्ज प्रभार अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का निराकरण किया जाएगा तथा उक्त जमानत आवेदन, संबंधित न्यायालय को स्वमेव अंतरित मान्य किये जावेंगे।

3. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में 34 (2) आबकारी अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र श्री अरुण कुमार खरादी पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेंगे।

4. विशेष न्यायालय, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विशेष न्यायालय (विद्युत) अधिनियम, विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम तथा विशेष न्यायालय (पॉक्सो) अधिनियम के प्रकरणों का पंजीयन संबंधित विशेष न्यायालय में दायरा पंजी रखी जाकर पंजीयन किया जावेगा। इसी प्रकार इन विशेष न्यायालयों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र संबंधित विशेष न्यायालयों में सीधे पेश किये जावेगे।

5. अवकाश के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत रिमाण्ड कार्यवाही के दौरान धारा 437 द.प्र.स. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे, तदनुसार संबंधित दण्डाधिकारी विधिक प्रावधानों के प्रकाश में निराकरण कर सकेंगे।

6. रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित समस्त कार्य जिला रजिस्ट्रार, सिंगरौली द्वारा संपादित किया जावेगा।

7. लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन वादों का प्रस्तुतीकरण व निराकरण उसी खण्डपीठ द्वारा किया जावेगा, जिसके द्वारा प्रकरण निराकृत किया गया है।
8. तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति० व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड से संबंधित समस्त कार्यवाही, न्यायालय श्रीमती पूमन सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड देवसर के द्वारा संपादित की जावेगी।
9. तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त समस्त अति० व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही श्रीमती अदिति तिवारी प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड देवसर के द्वारा संपादित की जावेगी।
10. मुख्यालय वैढन में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही श्री शिवचरण पटेल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड वैढन के द्वारा संपादित की जावेगी।
11. मुख्यालय वैढन में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/प्रशिक्षु न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय सुश्री सिमरन गुप्ता द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड वैढन के द्वारा संपादित की जावेगी।
12. मुख्यालय वैढन में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री अरुण कुमार खरादी, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वैढन जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेगी।
13. तहसील देवसर में पूर्व में कार्यरत रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री विजय कुमार सोनकर तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवसर जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेगी।
14. **विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम सिंगरौली** के अवकाश पर रहने पर एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेंट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, सिंगरौली पर उपलब्ध वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, सिंगरौली में कोई

भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली द्वारा सुनवाई की जावेगी।

15. **विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) अधिनियम सिंगरौली** के अवकाश पर रहने पर एस. सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरणों से संबंधित अर्जेन्ट आवेदनों की सुनवाई जिला मुख्यालय, सिंगरौली पर उपलब्ध वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की जावेगी। जिला मुख्यालय, सिंगरौली में कोई भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उपस्थित न होने पर सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली द्वारा सुनवाई की जावेगी एवं उक्त सभी की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिंगरौली द्वारा की जावेगी।

16. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध वरिष्ठ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।

17. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।

18. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य माननीय उच्च न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय से आने वाले आदेशों/निर्देशों का परिपालन तथा मूल दस्तावेज वापसी से संबंधित कार्य, उपलब्ध वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किया जावेगा और उनकी अनुपस्थिति में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभार वाले न्यायाधीशों द्वारा संपादित किया जावेगा।

19. मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के तहत मामलों की सुनवाई हेतु उक्त कार्य विभाजन में अधिकृत सिंगरौली/देवसर स्थित समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 166(2) के साथ धारा 164 एवं 163ए के तहत मामलों की सुनवाई का कार्य संपादित किया जावेगा।

20. इस जिला स्थापना पर यदि किसी न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड) का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाता है तो उक्त न्यायालय (रिक्त न्यायालय) को आवंटित समस्त न्यायिक कार्य/विविध कार्य आगामी आदेश होने तक चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय द्वारा संपादित किये जायेंगे।
21. पूर्व में रिक्त रहे ऐसे सभी न्यायालय जो वर्तमान में कार्यरत हैं, का तत्समय का समस्त कार्य वर्तमान में कार्यरत संबंधित न्यायालय द्वारा संपादित किया जावेगा।
22. जिला स्थापना पर कार्यरत जिला न्यायाधीश का न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त रिक्त न्यायालय के अत्यावश्यक (सिविल एवं आपराधिक) कार्य हेतु चार्ज प्रभार सारणी के उल्लेखित नियुक्त प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही क्लेम प्रकरणों में जमा राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही सहित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियां संपादित की जावेगी।
23. क्षेत्राधिकार के संबंध में भ्रम की स्थिति में आवेदन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
24. निराकृत विशेष प्रकरणों के संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों से आदेश प्राप्त होने पर कार्य कार्यविभाजन आदेश में दिये गये क्षेत्राधिकारिता अनुसार अधिसूचित न्यायालयों द्वारा (आवंटित थाने अनुसार) कार्यवाही की जायेगी।
25. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली के अवकाश में होने पर, उनके न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा की जावेगी।
26. सत्रखण्ड वैद्वान/देवसर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रथम रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा द्वितीय रिमाण्ड प्रस्तुत होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उक्त पत्रातली संबंधित न्यायालय में अग्रिम रिमाण्ड हेतु पत्रावली प्रेषित करेंगे तथा अभिरक्षा में रखे जाने वाले वारंट पर आगामी तिथि पर उपस्थित होने के लिये विशेष न्यायालय में उपस्थिति बावत् टीप अंकित करेंगे।

—sdr—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

—:: चार्ज प्रभार::—

1. सिविल जिला सिंगरौली के अंतर्गत कार्यर न्यायाधीशों की अनुपस्थिति/ अवकाश/ ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन अवकाश/ अस्थाई रिक्तता में, उनके न्यायालयों से संबंधित आवश्यक कार्य सामान्य रूप से न्यायालयों के सम्मुख निम्नानुसार न्यायालयों के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा:—

क्र०	न्यायालय का नाम	प्रथम उत्तरवर्ती न्यायालय	द्वितीय उत्तरवर्ती न्यायालय	तृतीय उत्तरवर्ती न्यायालय
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री खालिद मोहतरम अहमद)	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्रीमती कंचन गुप्ता)	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)
2	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सिंगरौली (श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन)	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया)	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री खालिद मोहतरम अहमद)	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्रीमती कंचन गुप्ता)
3	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री खालिद मोहतरम अहमद)	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्रीमती कंचन गुप्ता)	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री धर्मेन्द्र सोनी)	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)
4	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्रीमती कंचन गुप्ता)	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री धर्मेन्द्र सोनी)	षष्ठम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री राकेश कुमार कुशवाह)
5	तृतीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री धर्मेन्द्र सोनी)	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)	षष्ठम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री राकेश कुमार कुशवाह)	सप्तम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री उमेश कुमार सोनी)
6	चतुर्थ जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (रिक्त न्यायालय)	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)	षष्ठम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री राकेश कुमार कुशवाह)	सप्तम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री उमेश कुमार सोनी)
7	पंचम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री अरुण कुमार खरादी)	षष्ठम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री राकेश कुमार कुशवाह)	सप्तम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री उमेश कुमार सोनी)	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (श्री खालिद मोहतरम अहमद)

[illegible]

[illegible]

10	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (श्री विशाल रिछारिया)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (सुश्री सिमरन गुप्ता)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (सुश्री प्रिंसू मिश्रा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सिंगरौली (श्री शिवरण पटेल)
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री विष्णुकांत मिश्रा)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती पूनम सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)
12	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती पूनम सिंह)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री विष्णुकांत मिश्रा)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)
13	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अनिल नामदेव)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री विष्णुकांत मिश्रा)
14	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अनिल नामदेव)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती पूनम सिंह)
15	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अनिल नामदेव)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती पूनम सिंह)
16	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सरई (श्री हर्षवर्धन राठौर)	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्रीमती अदिति तिवारी)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अंकुर तिवारी)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवसर (श्री अनिल नामदेव)

-sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्र0-2036/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-30.08.2025

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय वैद्वन, जिला सिंगरौली म0प्र0 01-09-2025
2. समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वैद्वन/देवसर, जिला सिंगरौली म0प्र0
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड वैद्वन/देवसर/सरई, जिला सिंगरौली म0प्र0
4. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली
5. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ वैद्वन/देवसर/सरई जिला सिंगरौली,
.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

01.09.25
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सिंगरौली (म0प्र0)